न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक 11.10.2023

निर्णय दिनांक 26.02.2024

प्रकरण संख्या 356/2023

उनवान

1. उत्तम कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति सारस्वत उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर, भीलवाडा
2. हर्ष कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति सारस्वत उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर, भीलवाडा
3. हरित कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति सारस्वत उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर, भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

नन्दलाल पुत्र रामचन्द्र तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
बद्रीलाल पुत्र रूपा बैरवा उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
रतन पुत्र देवा जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
रमेश पुत्र नानू तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
राधा पत्नि बद्रीलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
शम्भू पुत्र नाथूलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भोमियो का रावला गुलमण्डी भीलवाड़ा
सत्यनारायण पुत्र मगना तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
किशन लाल पुत्र लादू तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
रामधनी पत्नि लादू तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा

10. भैरू पुत्र छीतर तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा, तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. रामचन्द्र पुत्र छोगा तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
12. लादू पुत्र छोगा तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
13. सीताराम पुत्र लादू तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
14. अनिता पत्नि रमेश सामरिया उम्र वयस्क निवासी–ए–271, आर. के. कॉलोनी, भीलवाडा
15. रमेशचन्द्र पुत्र छगनलाल सामरिया उम्र वयस्क निवासी–ए–271, आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा
16. शम्भू पुत्र रूपा तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा
17. नगर विकास न्याय जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज.)

—विपक्षीगण

Ahad

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

ात:—अधिवक्ता प्रार्थी विकास जायसवाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र ति धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तेलीखेड़ा प0ह0 पालड़ी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा माबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 2113/858, /858, 2150/857, 856, 857, 858, 859 कुल किता 07 कुल रकबा 2.5290 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी ारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने रण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख र नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता थत। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। र वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी जियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का ोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात हस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन रगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा तेलीखेड़ा प0ह0 पालड़ी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 2113/858, 14/858, 2150/857, 856, 857, 858, 859 कुल किता 07 कुल रकबा 2.5290 हैक्टेयर

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड मुताबिक संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा करवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा